



BULANDSHAHR POLICE



दिनांक- 07 जून, 2025

थाना – जहांगीरपुर

चोर गिरोह के 04 शातिर सदस्य गिरफ्तार, कब्जे चोरी किये गये पानी के पंखे, डीजल इंजन के पार्ट्स अवैध असलहा व घटना में प्रयुक्त ईको गाडी बरामद।

जनपद में अपराधों पर अंकुश लगाये जाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 06.06.2025 को थाना जहांगीरपुर पुलिस द्वारा गस्त के दौरान ग्राम चिंगरावली व गोविला के रास्ते पर स्थित तालाब के पास से 04 शातिर चोरो को चोरी की के सामान, अवैध असलहा व घटना में प्रयुक्त ईको गाडी सहित गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना जहांगीरपुर पर मुअसं-47/25 धारा 303(2)/ 317(2) बीएनएस पंजीकृत अभियोग मे धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि कर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए। अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1. सलमान पुत्र सलीम निवासी चिंगरावली थाना जहांगीरपुर जनपद बुलंदशहर हाल पता राजाविहार दादरी थाना दादरी जिला गौतमबुद्धनगर
2. सलीम पुत्र बशीर निवासी चिंगरावली थाना जहांगीरपुर जनपद बुलंदशहर हाल पता राजाविहार दादरी थाना दादरी जिला गौतमबुद्धनगर
3. नबीन पुत्र मुन्त्याज निवासी ग्राम चिंगरावली थाना जहांगीरपुर जनपद बुलंदशहर
4. रहीमुद्दीन उर्फ बबलू पुत्र गफ्फार निवासी वार्ड न0-25 शेखवाडा हजरत वाली मस्जिद के पास कस्बा व थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलंदशहर

बरामदगी-

1. एक तमचा मय 01 जिंदा कारतूस 315 बोर
2. 01 गाडी ईको रजि0 नं0- UP -16EJ-3671
3. 03 इंजन के पुराने साइलेंसर
4. 01 एअर फिल्टर छोटी बडी
5. 04 पाना रिन्च, 02 रोड
6. 3500 रुपये
7. 01 पानी का पंखा व दो हेड व दो ब्लाक बडे
8. 02 मोबाईल फोन (भिन्न-भिन्न कम्पनी)

गिरफ्तार अभियुक्तगण शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो टयूवेलो से पानी के पंखो, इंजन चोरी करते है तथा उन्हे बेचकर आर्थिक लाभ प्राप्त करते है।

अभियुक्तों द्वारा दिनांक 01.06.2025 की रात्रि मे थाना ककोड क्षेत्रान्तर्गत ग्राम झाझर में टयूवैल से पंखे व इंजन चोरी करने की घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना ककोड पर मुअसं 188/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत हैं।

अभियुक्तों द्वारा दिनांक 25/26.01.2025 की रात्रि मे थाना छतारी क्षेत्रान्तर्गत जंगल से इंजन व ट्राली के ऊपर के हिस्से चोरी करने की घटना कारित की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना छतारी पर मुअसं 39/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत हैं।

अभियुक्तों द्वारा दिनांक 02/03.06.2025 की रात्रि को थाना जहांगीरपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम चिंगरावली में टयूवैल से पानी के पंखे व इंजन चोरी करने की घटना कारित की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना जहांगीरपुर पर मुअसं 47/25 धारा 303(2)/ 317(2) बीएनएस पंजीकृत हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त सलमान का आपराधिक इतिहास-

1. मुअस- 50/17 धारा 323/452/504/506 भादवि थाना जहांगीरपुर जनपद बुलन्दशहर।
2. मुअस- 92/20 धारा 380/457 भादवि थाना जहांगीरपुर जनपद बुलन्दशहर।
3. मुअस- 47/25 धारा 303(2)/317 (2) बीएनएस व 3/25 आर्मस एक्ट थाना जहांगीरपुर जनपद बुलन्दशहर।
4. मुअस- 39/25 धारा 303 (2) बीएनएस थाना छतारी जनपद बुलदंशहर।
5. मुअस- 188/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना ककोड जनपद बुलदंशहर।

गिरफ्तार अभियुक्त सलीम का आपराधिक इतिहास-

1. मुअस- 47/25 धारा 303 (2)/317 (2) बीएनएस थाना जहांगीरपुर जनपद बुलदंशहर।
2. मुअस- 39/25 धारा 303 (2) बीएनएस थाना छतारी जनपद बुलदंशहर।
3. मुअस- 188/25 धारा 303 (2) बीएनएस थाना ककोड जनपद बुलदंशहर।

गिरफ्तार अभियुक्त नबीन का आपराधिक इतिहास-

1. मुअस- 47/25 धारा 303 (2)/317 (2) बीएनएस थाना जहांगीरपुर जनपद बुलन्दशहर।
2. मुअस- 39/25 धारा 303 (2) बीएनएस थाना छतारी जनपद बुलदंशहर।
3. मुअस- 188/25 धारा 303 (2) बीएनएस थाना ककोड जनपद बुलदंशहर।

गिरफ्तार अभियुक्त रहीमुद्दीन उर्फ बब्लू का आपराधिक इतिहास-

1. मुअस- 992/20 धारा 13 जुआ अधिनियम थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।
2. मुअस- 47/25 धारा 303 (2) / 317 (2) बीएनएस थाना जहांगीरपुर जनपद बुलन्दशहर।
3. मुअस- 39/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना छतारी जनपद बुलदंशहर।
4. मुअस- 188/25 धारा 303 (2) बीएनएस थाना ककोड जनपद बुलदंशहर।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री शिवप्रकाश सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना जहांगीरपुर
2. उ०नि० दुर्वेश कुमार, उ०नि० साहिल प्रताप सिंह
3. है०का० अर्जुन सिंह, का० रवि कुमार, का० हेमन्त कुमार

गिरफ्तार करने वाली स्वाट टीम

1. श्री पम्मी चौधरी प्रभारी स्वाट टीम देहात।
2. है०का० नेत्रपाल, है०का० नितिन शर्मा, है०का० कुलदीप सिंह, है०का० रूपेंद्र कुमार, है०का० अरुण कुमार, का० मनीष, का० आकाश, का० अजय, का० विपिन।



मीडिया सैल बुलन्दशहर